

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR (57)/2014 - 652

Dated: 19/9/17

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 01-41-94 hecter of forest land proposed to be diverted in favour of Pradhan Gram Panchayat Shingla Tehsil Rampur District Shimla for Construction of Judicial Court Complex & Seprate Block of Juvenil Justice Board at Shingla (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Rampur Forest Division.

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 01-41-94 hecter of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure VI
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, In vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha is enclosed as annexure 1 to annexure
- (d) the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of FRA

Encl: As above

(Rohan Chand Thakur)
District Collector, Shimla
Shimla District (H.P.)
Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

DEC
20/9/2017

ANNEXURE-IV

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 11-09-2017 at 4.00 P.M. at Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha Shingla claiming rights in Village Shingla forest area(s) 01-41-94 hect. under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Rampur were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
--Nil--			

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
--Nil--			

OR

As informed by SDO (Civil) Rampur, no application was received from Gram Sabha claiming right in 01-41-94 hect. forest area.

Place: Shimla

Date: 11-09-2017

Deputy Commissioner-Cum- Chairman



②

**OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER (CIVIL), RAMPUR
BUSHAHR DISTT. SHIMLA, HIMACHAL PRADESH**


**Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional Level Committee constituted
under Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of
Rights) Act, 2006**

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Rampur Sub-Division constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Sub-Divisional Officer (C), Rampur Bushahr, Distt. Shimla, H.P. on 11.07.2017 at 12:00 Noon at Rampur in which the applications of the applicants of **Gram Sabha Shingla** claiming rights in area measuring **01-41-94** hectares of the land in Forest Division Rampur for the Construction **Construction of Judicial Court Complex & Seprate Block of Juvenil Justice Board** at revenue village **Shingla**, under the jurisdiction of Rampur Tehsil, Distt. Shimla under FRA, 2006 duly processed and recommended by the **Forest Right Committee Shingla** is discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and details discussions, the claim of the applicant is found to be in order and recommended for admission to District Level Committee.

Place: Rampur Bushahr

Dated: 11-07-2017


SDO(civil)-cum-Chairman,
Sub Division Level Committee (FRA)
Rampur Bushahr
District Shimla



कार्यालय ग्राम पंचायत, शिंगला

विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला (हि०प्र०)

पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि प्रस्ताव संख्या.....8.....जो ग्राम पंचायत/ग्राम सभा की बैठक में दिनांक...15-06-2017
को...20/75...सदस्यों की उपस्थिति में प्रधान...*श्री श्री शिंगला राजा*
ग्राम पंचायत, शिंगला की अध्यक्षता में पारित किया गया।

क्रमांक.....

दिनांक.....

विषय :-

प्रस्ताव न०-8 ग्राम पंचायत शिंगला के अर्न्तगत नि० न्यायिक परिसर फ़ैनीधार में निर्माण हेतु F.R.A हेतु अनापति प्रमाण देने बारे।

ग्राम पंचायत शिंगला की ग्राम सभा बैठक में उक्त विषय बारे विचार विमर्श किया गया जिस में ग्राम पंचायत शिंगला के अर्न्तगत नि० न्यायिक परिसर फ़ैनीधार में निर्माण हेतु F.R.A हेतु अनापति प्रमाण देने बारे चर्चा की गई। जिस में ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित हुआ कि ग्राम पंचायत शिंगला के अर्न्तगत नि० न्यायिक परिसर फ़ैनीधार में निर्माण हेतु अनापति प्रमाण देना उचित है। इस नि० न्यायिक परिसर फ़ैनीधार में निर्माण के लिए वन भूमि के हस्तांतरण से किसी व्यक्ति के अधिकार आहत नहीं होते हैं।

अतः ग्राम पंचायत शिंगला की ग्राम सभा बैठक में पारित हुआ कि ग्राम पंचायत शिंगला के अर्न्तगत नि० न्यायिक परिसर फ़ैनीधार के निर्माण हेतु अनापति प्रमाण पत्र विहिद अधिकारी की सेवा में प्रेषित है।

प्रमाणित किया जाता है कि नक्ल प्रस्ताव असल है।



प्रधान
ग्राम पंचायत शिंगला
विकास खण्ड रामपुर बुशैहर
जिला शिमला (हि० प्र०)

श्री श्री शिंगला राजा
ग्राम पंचायत शिंगला
विकास खण्ड रामपुर
जिला शिमला (हि० प्र०)

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा.....शिमला
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....10

दिनांक.....18-6-2017

वन अधिकार समिति ग्राम सभा.....शिमला की बैठक आज दिनांक 18-06-2017
को 11-00 बजे, स्थान ग्राम पंचायत शिमला में श्री/श्रीमति विमला राठी
की अध्यक्षता में की गई जिसमें राजेश्वर शिमला गांव के अनुसूचित जनजाति
और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 1, 2006 के अन्तर्गत शिमला जंगल
जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें प्रायिक विभाग द्वारा प्रायिक के
निर्माण के लिए 1-41-19 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त
हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत
दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों
का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0 * पात्र गांव वासी का नाम नरि, जंगल का नाम शिमला वन अधिकार का ब्यौरा

1.
2.
तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी
सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

1.
2.
तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश
करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान शिमला
दिनांक 18-6-2017

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा.....राजेश्वर शिमला

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल/वन अधिकारों के दावे के लिए
आवेदन किया है।
** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के
उपयोग की अनुमति दी जानी है

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
राजेश्वर शिमला
ग्राम पंचायत शिमला (हि0प्र0)
जिला शिमला

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा शिगला
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 8

दिनांक 15-6-2017

ग्राम सभा शिगला की बैठक आज दिनांक 15-6-2017 को 11-00 बजे, स्थान शिगला में श्री/श्रीमति विमला शर्मा की अध्यक्षता में की गई जिसमें शिगला गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निर्धार क्षेत्र में (जिसमें निर्धार विभाग द्वारा निर्धार के निर्माण के लिए 1-4-94 भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा

- 1.
- 2.

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

- 1.
- 2.

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान

दिनांक



प्रधान

विमला शर्मा

विमला शर्मा

जिला शिमला (डि० प्र०)

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा ग्राम पंचायत शिंगला
विकास खण्ड रागपुर बुरैहर जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 15-6-17

गणपूर्ति 20/7/17

प्रस्ताव संख्या 8

विषय: न्यायिक के निर्माण हेतु विभाग/संस्था को न्यायिक परिसर
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 1-41-94 हैक्टयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा शिंगला की बैठक राज दिनांक 15-6-2017 को 11-00 बजे, स्थान ग्राम पंच शिंगला में
की गई, जिसमें न्यायिक विभाग/संस्था को न्यायिक परिसर
के निर्माण हेतु जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
1-41-94 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 1-41-94 हैक्टयर वन भूमि को न्यायिक परिसर निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा ग्राम पंच शिंगला की सहमति दी जाती है।

स्थान शिंगला
दिनांक 15-6-2017



प्रधान ग्राम पंच शिंगला ग्राम सभा
विकास खण्ड रागपुर बुरैहर
जिला शिमला (हि0 प्र0)

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

[Signature]